

तुपकी (बस्तर गोंचा पर्व की पहचान)

बस्तर अंचल में “गोंचा पर्व” के अवसर पर तुपकी चलाने की एक अलग ही परंपरा दृष्टिगोचर होती है, जो कि बस्तर के “गोंचा पर्व” का मुख्य आकर्षण है। तुपकी वास्तव में होली के पिचकारी नुमा बच्चों की एक बन्दूक है जो तेज ध्वनि करती है गोंचा पर्व के अवसर पर तुपकी की गोलियों से सारा क्षेत्र गूँजायमान हो उठता है। माना जाता है कि तुपकी का गोंचा पर्व के अवसर पर प्रथम प्रयोग प्राचीन कोरापुट क्षेत्र में हुआ था। धीरे-धीरे इस प्रथा का विस्तार होता गया एवं आज वर्तमान समय में “तुपकी” बस्तर के “गोंचा पर्व” की पहचान बन चुका है। इसका प्रयोग प्रायः छोटे बच्चे शरारत करते हुए करते हैं।

तुपकी में डेढ़ फीट लंबे पतले बांस का प्रयोग किया जाता है जो दोनों ओर से खुला होता है। नली में तुपकी के गोली को प्रवेश कराने हेतु बांस का ही एक मुठदार रॉड का प्रयोग किया जाता है। रॉड के माध्यम से तुपकी के छेद में गोली को प्रवेश कराया जाता है। नली के आगे का भाग गोली से बंद हो जाता है। जब दूसरी गोली को रॉड के माध्यम से प्रवेश कराया जाता है तब हवा के दबाव से पहली गोली तेज आवाज करते हुए अपने निशाने से जा टकराती है।



तुपकी



पेंग फल

-:- नोट :-

- बस्तर क्षेत्र में गोंचा पर्व की शुरूआत काकतीय नरेश पुरुषोत्तम देव के राजत्वकाल में प्रारंभ हुआ था।
- प्रारंभ में तुपकी का प्रयोग कोरापुट क्षेत्र में हुआ करता था। तुपकी में गोली के रूप में मटर के दाने के आकार का फल (पेंग फल) का प्रयोग किया जाता है।
- ये पेंग के फल ‘‘मलकागिनी’’ नाम की लता में लगते हैं। तुपकी बनाने हेतु बांस एवं छिन के पत्तों का प्रयोग किया जाता है।
- तुपकी के प्रयोग से भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा को सलामी दी जाती है।
- तुपकी निर्माण का कार्य प्रायः नगरनार क्षेत्र के आदिवासी करते हैं।

महेन्द्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना एक बीमा योजना है। जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है। इस योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया (जिसकी आयु 50 वर्ष से कम हो) की सामान्य मृत्यु हो जाने की दशा में नामांकित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी को “2 लाख” रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में “2 लाख” रूपये तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में “1 लाख” रूपये की सहायता अनुदान राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

साथ ही इस योजना के तहत संग्राहक परिवार के मुखिया जिसकी आयु 50 से 59 वर्ष के मध्य हो तो उस परिस्थिति में सामान्य मृत्यु होने पर “30 हजार” रूपये, दुर्घटना के पश्चात मृत्यु होने पर “75 हजार” रूपये, दुर्घटना में पूर्ण विकलांग होने पर “75 हजार” रूपये तथा दुर्घटना में आंशिक विकलांग होने पर “37500” रूपये की राशि पंजीकृत अथवा नामांकित व्यक्ति को दी जाएगी।



● नोट ●

- इस योजना की शुरुआत बस्तर टाईगर के नाम से मशहूर शहीद महेन्द्र कर्मा जी की जयंती (05/08/2020) के अवसर पर की गई तथा उनकी स्मृति को चिरस्थाई बनाने के उद्देश्य से इस योजना को महेन्द्र कर्मा जी का नाम दिया गया है।
- महेन्द्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ राज्य शासन के “वन विभाग” द्वारा संचालित योजना है।
- महेन्द्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ 12.50 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को मिलेगा।

Contact us : 9039361688, 8770718705

Follow us on :- RAJPUT TUTORIALS /



IMPORTANT FOR

- All Exam Interview
- All One Day Exam
- CGPSC Mains
- Paper No. 06 (Art & Culture)

लांदा (बस्तर का पेय पदार्थ)

लांदा बनाने के लिए चावल को पीसकर उसके आटे को भाप में पकाया जाता है। इसे पकाने के लिए चूल्हे के ऊपर मिट्टी की हाँड़ी रखी जाती है जिस पर पानी भरा होता है और हाँड़ी के ऊपर टुकना जिसपर चावल आटा रखा जाता है। इसे अच्छी तरह भाप में पकाया जाता है फिर उसे ठंडा किया जाता है। इसके पश्चात एक अन्य हाँड़ी में आवश्यकता अनुसार पानी लेकर उसमें पके हुए आटे को डाल दिया जाता है साथ में अंकुरित जोंधरा (मक्का) का पावडर (मक्के को अंकुरित करने हेतु ग्रामीण रेत का प्रयोग करते हैं, अंकुरित मक्के को धूप में सुखाकर पीस लिया जाता है) मिलाया जाता है जिसका उपयोग खमीर के तौर पर किया जाता है।



लांदा बेचती हुई ग्रामीण महिला

लांदा बनाने के लिए गर्मी के दिनों में 2-3 दिन का समय व ठण्ड के दिनों में 4-5 दिन का समय लगता है। तैयार लांदा को 1-2 दिन में उपयोग करना होता है अन्यथा इसमें खट्टापन बढ़ने लगता है।

नोट

बस्तर में त्यौहार, शोक अथवा कहीं-कहीं मेहमानी आने जाने पर भी लोग इसे अपने साथ लेकर चलते हैं।

Contact us : 9039361688, 8770718705

Follow us on :- RAJPUT TUTORIALS /   

रोका-छेका

क्या है रोका छेका अभियान-

हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने रोका-छेका अभियान की शुरूआत की है। इस अभियान के तहत गांवों में खरीफ फसलों की मवेशियों से सुरक्षा हो पाएगी। साथ ही खुले में घूमने वाले पशुओं पर रोकथाम लगाई जाएगी। “रोका-छेका” छत्तीसगढ़ की पुरानी परंपरा है। इसके द्वारा संकल्प लिया जाता है कि खरीफ फसलों की खेती के दौरान सभी लोग अपने मवेशियों को बाड़ अथवा मैदान में रखेंगे।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा लगातार किसानों को दलहन-तिलहन, सब्जी, फल इत्यादि की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगर राज्य में बारहमासी खेती को बढ़ावा देना है, तो पशुओं से फसलों को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा “रोका-छेका” अभियान चलाया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा फसलों एवं पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए 19 जून से 30 जून 2020 तक रोका-छेका संकल्प अभियान चलाया गया।



IMPORTANT FOR

- All Exam Interview
- All One Day Exam
- CGPSC Mains
 - Paper No.- 2 (Essay)
 - Paper No.- 6 (Art & Culture)

-: महत्वपूर्ण बिन्दु :-

- ▶ रोका-छेका अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ राज्य के नगरीय निकायों को भी शामिल किया गया है।
- ▶ अगर कोई मवेशी 30 जून के बाद खुला पाया जाता है तो प्रशासन द्वारा पशु मालिक पर जुर्माना लगाया जा सकता है। लापरवाही की स्थिति में संबंधित अधिकारी पर कार्यवाही की जा सकती है।
- ▶ 19-30 जून 2020 के मध्य चलाए गए रोका-छेका अभियान के दौरान गौठान में उत्पादित कंपोस्ट खाद का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के कैंप, कृषि, पशुपालन, मछली-पालन से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी तथा गौठानों से जुड़े स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार चीजें उपलब्ध कराई गईं।
- ▶ 19-30 जून 2020 रोका-छेका अभियान के दरमियान पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।
- ▶ गौठान निर्माण का उद्देश्य भी खुली चराई से फसलों को हो रहे नुकसान से बचाना एवं एक स्थान पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना है।

Contact us : 9039361688, 8770718705

Follow us on :- RAJPUT TUTORIALS /

परंपरागत व्यवसायों को नया जीवन देने की पहल- “पौनी पसारी परिसर”

IMPORTANT FOR

- All Exam Interview
- CGPSC Mains
 - Paper No. 05 (Part-1 or Part-3)
 - Paper No. 07 (Part-1)

“पौनी-पसारी” हमारी छत्तीसगढ़ी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा शब्द है। इसका संबंध स्थानीय ग्रामीण परंपरागत व्यवसाय “लोहे से संबंधित कार्य, मिट्टी के बर्तन, कपड़े धुलाई, जूते-चप्पल तैयार करना, लकड़ी से संबंधित कार्य, पशु के लिए चारा, सब्जी-भाजी उत्पादन से संबंधित सामग्री, कपड़ों की बुनाई, सिलाई, पूजन सामग्री, बांस से बने वस्तुओं का उत्पादन, दोना-पत्तल तथा चटाई तैयार करना इत्यादि” से है। कुछ समय पूर्व तक “पौनी-पसारी” के माध्यम से लोग अपने घरों से ही तथा घूम-घूम कर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं ग्रामीणों के घरों तक उपलब्ध कराते थे, इसके बदले में उन्हे अनाज व धन की प्राप्ति होती थी।

बदलती हुई परिस्थितियों में जब गांवों ने नगरों का स्वरूप लिया तो इन कार्यों से जुड़े लोगों के लिए नगर के हर घर में जाकर सुविधा देने में दिक्कत होने लगी तथा देश के अन्य हिस्सों की तरह छत्तीसगढ़ में भी परंपरागत व्यवसाय का दायरा कम होता गया, ऐसे में इन व्यवसायों से जुड़े लागों को न तो बाजार मिल रहा न ही रोजगार, साथ ही इनमें शिक्षा का स्तर कम होने के कारण दूसरे क्षेत्र में जाकर जीवकोपार्जन करना आसान नहीं है। परंपरागत व्यवसायों तथा छत्तीसगढ़ की स्थानीय संस्कृति एवं परंपराओं को जीवन्त करने तथा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा एक नवीन परिवेश में राज्य प्रवर्तीत परंपरागत व्यवसाय स्वावलंबन योजना के तहत नगरीय निकाय क्षेत्रों में “पौनी-पसारी” परिसर (नये बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से) की स्थापना की जा रही है।



पौनी पसारी परिसर योजना का उदाहरण

-: नोट :-

- राज्य के 168 नगरीय निकायों में “परंपरागत व्यवसाय स्वावलंबन योजना” के तहत एक व्यवस्थित “पौनी-पसारी परिसर” की स्थापना की जाएगी।
- इस योजना से लगभग 12000 परिवारों को रोजगार मिलेगा।
- राज्य सरकार ने आगामी 2 वर्ष में इस योजना के तहत 73 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करने का लक्ष्य रखा है। (राज्य शासन के ‘नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा’)

Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705


Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /   

IMPORTANT FOR

- All Exam Interview
- All One Day Exam
- CGPSC Mains
- Paper No. 06 (Art & Culture)

पंचकोसी यात्रा

पंचकोसी यात्रा प्रतिवर्ष कार्तिक-अगहन माह से पौष-माघ माह के मध्य में की जाती है। कुलेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर कुलेश्वर महादेव मंदिर में ही इस पंचकोसी यात्रा का समापन होता है। कुलेश्वर महादेव मंदिर के 5 कोस की दूरी पर पांच शिव मंदिर (पटेश्वर, चम्पकेश्वर, बम्हनेश्वर, फणीकेश्वर, कोपेश्वर महादेव मंदिर) स्थित हैं तथा कुलेश्वर महादेव मंदिर इनके केन्द्र में स्थित है। यही कारण है कि प्राचीन समय के वैभवशाली नगर राजिम को प्राचीन समय में पद्म क्षेत्र/कमल क्षेत्र/पदमावतीपुरी के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में इस पद्म क्षेत्र का विशेष धार्मिक महत्व है।



कुलेश्वर महादेव मंदिर
राजिम

किवदंती:-

एक बार भगवान विष्णु जी ने विश्वकर्मा जी से कहा कि धरती पर “5” ऐसी जगह पर शिव मंदिर का निर्माण करवाएं जहाँ “5” कोस के अन्दर शब न जला हो। ओदशानुसार विश्वकर्मा जी धरती पर आए और उन “5” स्थानों की खोज करने लगे जहाँ “5” कोस के भीतर शब न जला हो किन्तु वे विफल रहे। विश्वकर्मा जी विष्णु जी के पास वापस लौटकर अपनी समस्या से उन्हे अवगत कराए तब विष्णु जी ने सूर्य के समान प्रकाश से प्रकाशित पांच पंखुड़ियों से युक्त कमल पुष्ट पृथ्वी पर गिराया तथा विश्वकर्मा जी से कहा कि जहाँ-जहाँ ये पांच पंखुड़ियां गिरेंगी वहाँ भगवान शिव जी के मंदिर का निर्माण कराया जाए। इस प्रकार कमल पुष्ट की पंखुड़ियां जहाँ गिरी वहाँ शिव मंदिर की स्थापना की गई और इन्हीं पंखुड़ियों के स्थान पर पंचकोसी धाम बसा हुआ है।

पंचकोसी धाम के पांच शिव मंदिर:-

- पटेश्वर महादेव मंदिर (पटेवा-रायपुर)।
- चम्पकेश्वर महादेव मंदिर (चम्पारण-रायपुर)।
- बम्हनेश्वर महादेव मंदिर (बम्हनी ग्राम-महासमुंद)।
- फणीकेश्वर महादेव मंदिर (फिंगेश्वर-गरियाबंद)।
- कोपेश्वर महादेव मंदिर (कोपरा ग्राम-गरियाबंद)।

केन्द्र :
कुलेश्वर महादेव मंदिर
(राजिम-गरियाबंद)



Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /

IMPORTANT FOR

- All Exam Interview
- All One Day Exam
- CGPSC Mains
 - Paper No. 02 (Essay)
 - Paper No. 05 (Part-1)
 - Paper No. 07 (Part-2)

इंदिरा वन मितान योजना

इंदिरा वन मितान योजना-

इस योजना के तहत राज्य के आदिवासी अंचल के “**10000 ग्राम**” में वनवासी युवाओं के समूहों का गठन किया जाएगा तथा इन समूहों के माध्यम से उक्त क्षेत्र के वन आधारित समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। इंदिरा वन मितान योजना के प्रावधान के अनुसार समूहों के माध्यम से वनोपजों की खरीदी, उनका प्रसंस्करण तथा मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी जिससे स्थानीय स्तर पर वनवासियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा उनकी आर्थिक समृद्धि हेतु नये मार्ग प्रशस्त करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।



इंदिरा वन मितान योजना

- ★ इस प्रस्तावित “इंदिरा वन मितान योजना” की घोषणा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस 09/08/2020 के अवसर पर की गई।
- ★ इस योजना के प्रावधान एवं मापदंड की विस्तृत जानकारी योजना के लागू होने पर प्राप्त होगी।

कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु-

- इस योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्र के 85 विकासखण्डों के 10000 ग्राम में वनवासी युवाओं का समूह बनाया जाएगा।
- प्रत्येक समूह में 10–15 सदस्य होंगे।
- वनोपजों की खरीदी तथा उनके प्रसंस्करण व मार्केटिंग हेतु केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
- प्रत्येक केन्द्र की स्थापना हेतु “10 लाख” तक की राशि दिये जाने का प्रावधान है। (राज्य में केन्द्रों की स्थापना हेतु कुल 8 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान है)।
- इस योजना के तहत कम से कम 19 लाख परिवारों को शामिल किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- इस योजना के तहत इमारती के स्थान पर फलदार एवं वनौषधियों वाले पौधों के रोपण को प्राथमिकता दी जाएगी।
- वृक्ष प्रबंधन के अधिकार समूहों को दिये जाएंगे।

Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /

राम वन गमन परिपथ

IMPORTANT FOR

- All Exam Interview
- All One Day Exam
- CGPSC Mains
 - Paper No. 02 (Essay)
 - Paper No. 05 (Part-3)

मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के 14 वर्ष के वनवास तथा उनके भारत भ्रमण पर शोध की अनुमति नरसिंहा राव सरकार द्वारा “डॉ. रामअवतार शर्मा जी” को दी गई। वर्ष 2015 में एनडीए सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने “रामायण सर्किट” विकसित करने कर ऐलान किया तथा “रामायण सर्किट सलाहकार समिति” का अध्यक्ष “डॉ. राम अवतार शर्मा” जी को ही बनाया गया।




राज्य के चिह्नित 51 स्थानों में से पहले चरण में 9 स्थानों को विकसित किया जाएगा।
 (सीतामढ़ी-हरचोंका, रामगढ़, शिवरीनारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सिहावा, जगदलपुर, रामाराम)

-: नोट :-
 सिरपुर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

राम वन गमन परिपथ में मिलने वाली सुविधा अथवा विशेषता

मध्य प्रवेशद्वार, इंटरप्रिटेशन सेंटर, कैफेटेरिया, दुकानों में एकरूपता, पर्यटकों को जानकारी देने हेतु साइन बोर्ड, राम वन गमन पथ के लिए प्रतीक चिन्ह तैयार किया जाएगा। इसके अलावा यज्ञशाला, योगा, मेडिटेशन सेंटर, प्रवचन केन्द्र व धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा।

Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /

IMPORTANT FOR

- All Exam Interview
- All One Day Exam
- CGPSC Mains
- Paper No. 03 (Part-3)

छत्तीसगढ़ में प्रथम स्वतंत्रता दिवस समारोह

स्वतंत्रता के अर्लणोदय के साथ देश के अन्य हिस्सों की तरह मध्यप्रान्त और बरार (जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ एक संभाग था) भी अलंकृत हो उठा। 15 अगस्त 1947 की सुबह मध्यप्रान्त और बरार के तत्कालीन मुख्यमंत्री “पं. रविशंकर शुक्ल जी” ने राजधानी नागपुर के ऐतिहासिक “सीताबड़ी” के किले पर ध्वजारोहण किया। खाद्य मंत्री “आर. के. पाटिल” ने रायपुर के पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया साथ ही उनके द्वारा एक समारोह में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का राष्ट्र के नाम संदेश जनता को पढ़कर सुनाया गया। दुर्ग में प्रातः घनश्याम सिंह गुप्त तथा बिलासपुर में पं. रामगोपाल तिवारी जी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया।

सम्पूर्ण अंचल में पूरे सप्ताह स्वतंत्रता दिवस से संबंधित कार्यक्रम चलते रहे।



ध्वजारोहण व ध्वज फहराना :

15 अगस्त 1947 के दिन देश को आजादी मिली थी। इसी दिन ब्रिटिश ध्वज को उतारकर भारतीय ध्वज को उपर ढाया गया था। झंडे को नीचे से उपर ले जाकर फहराने की इस प्रक्रिया को ध्वजारोहण (Flag Hoisting) कहते हैं। इसलिए 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है वही 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसलिए उस दिन पहले से उपर बंधे झंडे को केवल फहराया (Flag Unfurling) जाता है।

नोट :

- 15 अगस्त के मुख्य कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री (देश) व मुख्यमंत्री (राज्य) द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है।
- 26 जनवरी के मुख्य कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति (देश) व राज्यपाल (राज्य) द्वारा झंडा फहराया जाता है।

Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /   

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना

IMPORTANT FOR

- All Exam Interview
- All One Day Exam
- CGPSC Mains
 - Paper No. 02 (Essay)
 - Paper No. 05 (Part-1)
 - Paper No. 07 (Part-1)

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना-

नक्सल प्रभावित जिलों के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा, आवास, भोजन, खेल एवं मनोरंजन आदि सुविधा निःशुल्क प्रदान कर संरक्षक की भूमिका निभाते हुए उन्हे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा जीवन में स्थायित्व प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु “मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना” की शुरूआत 2010 में की गई थी।

इस योजना के “4” घटक निम्नानुसार हैं-



1 आस्था-

नक्सल हिंसा से अनाथ एवं प्रभावित हुए बच्चों के अध्ययन (कक्षा 1 से कक्षा 12) की निःशुल्क व्यवस्था आस्था गुरुकुल आवासीय विद्यालय (दंतेवाड़ा) द्वारा कराई जाती है।

2 सहयोग-

योजना के इस घटक के अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे उच्च अध्ययन कर रोजगार प्राप्त कर सकें।

3 निष्ठा-

योजना के इस घटक के तहत पीडित परिवार के बच्चों के लिए निष्ठा जिले के संबंधित निजी विद्यालयों में कक्षा 01 से कक्षा 12 तक के अध्ययन की व्यवस्था की जाती है।

4 प्रयास-

नक्सल प्रभावित जिले के 10वीं उत्तीर्ण मेधावी छात्रों को 11वीं व 12वीं के अध्ययन के साथ साथ आईआईटी/पीईटी/पीएमटी इत्यादि की कोचिंग कराई जाती है।

-: नोट :-

रायपुर, दुर्ग,
बिलासपुर,
अंबिकापुर तथा
जगदलपुर में
प्रयास आवासीय
विद्यालय
संचालित हैं।

Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /

IMPORTANT FOR

- All Exam Interview
- All One Day Exam
- CGPSC Mains
 - Paper No. 02 (Essay)
 - Paper No. 07 (Part-1)

मुख्यमंत्री हाट बाजार विलनिक योजना

ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी के कारण बीमार लोगों को ईलाज के लिए कई बार आधारभूत स्वास्थ्य सेवाएं (रक्तचाप, मधुमेह, सिक्कलसेल, एनीमिया, हीमोग्लोबिन, मलेरिया, टाईफाईड जैसी बीमारियों के लिए खून की जांच) समय पर न मिल पाने के कारण बीमारी का पता नहीं चल पाता है तथा मरीज की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर होने पर उच्च अस्पतालों को रिफर किया जाता है, ऐसी स्थिति में धन तथा मरीज के जीवन को अपेक्षाकृत खतरा अधिक होता है। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण एवं सुदूर वनांचलों के अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु महात्मा गांधी जी के 150वें जन्म दिवस के अवसर “**2 अक्टूबर 2019**” को “**मुख्यमंत्री हाट बाजार विलनिक योजना**” का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से हर सप्ताह हाट बाजार विलनिक में मरीजों को त्वरित रूप से आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी जिससे बीमार लोगों को बिमारी के प्राथमिक चरण में ही त्वरित ईलाज का लाभ मिलेगा।



मुख्यमंत्री
हाट बाजार योजना
का लोगो

नोट :-

- इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को की गई।
- बस्तर संभाग से प्रारंभ इस योजना को संपूर्ण राज्य में लागू किया जाएगा।
- दूरस्थ अंचलों विशेषकर आदिवासी अंचलों के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
- साप्ताहिक हाट-बाजारों में नियमित रूप से जांच, उपचार एवं दवाओं का वितरण।
- महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु गोपनीयता सुनिश्चित करने की व्यवस्था।
- गंभीर मराजों को बड़े केन्द्रों में भेजने की व्यवस्था।
- इस योजना का प्रचार प्रसार स्थानीय भाषा में किया जाएगा।
- हाट बाजार विलनिक में चलित इकाईयों तथा पोर्टबल उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।

Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /

IMPORTANT FOR

- All Exam Interview
- All One Day Exam
- CGPSC Mains
 - Paper No. 02 (Essay)
 - Paper No. 07 (Part-1)

आजीविका अंगना योजना

छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा राज्य के नागरिकों के आजीविका संवर्धन हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य शासन द्वारा हरेली पर्व के अवसर (1 अगस्त 2019) पर बिलासपुर जिले के गनियारी में “आजीविका अंगना योजना” के तहत राज्य के पहले आजीविका अंगना केन्द्र की शुरुआत की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण देना तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

(इस योजना का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में अर्थात् समस्त 28 जिलों में आजीविका केन्द्र की स्थापना की जाएगी।)



नोट-

- इस योजना की शुरुआत “1 अगस्त 2019” को की गई।
- यह योजना राज्य शासन के “पंचायत एवं ग्रामीण विकास” विभाग द्वारा संचालित योजना है।
- आजीविका अंगना परिसर में स्वरोजगार के अनेक गतिविधियां (गणवेश व जूट बैग की सिलाई, अगरबत्ती, ऐलईडी बल्ब, कांच की चूड़ियां, सेनेटरी पैड इत्यादि) संचालित हैं।
- इस योजना के तहत स्वरोजगार शुरू करने के पहले सभी महिलाओं को उनके कार्यों का व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है।
- इस योजना का उद्देश्य स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है।
- आजीविका अंगना केन्द्र में कार्य करने वाली महिलाओं को परिसर में ही संचालित श्रमिक अन्न सहायता केन्द्र के माध्यम से मात्र 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /

IMPORTANT FOR

- All Exam Interview
- All One Day Exam
- CGPSC Mains
 - Paper No. 02 (Essay-2)
 - Paper No. 05 (Part-2)

धौराभाठा ग्राम स्थित फार्म

चर्चा का कारण-

दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के अंतर्गत स्थित धौराभाठा ग्राम में एशिया का सबसे बड़ा सीताफल का फार्म है।



धौराभाठा ग्राम के 500 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस फार्म में 20 प्रकार के फलों की आर्गेनिक खेती की जा रही है। इस फार्म के 180 एकड़ भूमि में केवल बालानगर प्रजाति के सीताफल के पेड़ लगाए गए हैं यही कारण है कि यह सीताफल का एशिया में सबसे बड़ा फार्म है।

नोट-

- ◆ यह फार्म 500 एकड़ में फैला है।
- ◆ 20 प्रकार के फलों की आर्गेनिक खेती की जा रही है।
- ◆ 180 एकड़ में सीताफल के वृक्ष लगाए गए हैं।
- ◆ फार्म में 150 गिर प्रजाति के गाय पाले गए हैं तथा इजरायल की पद्धति से आर्गेनिक खाद बनाया जाता है।
- ◆ कुछ अन्य फलदार वृक्ष के बगीचे जैसे खजूर, अमरुद, स्वीट लेमन, ड्रेगन फ्रूट इत्यादि।
- ◆ यहां के सीताफल की सप्लाई "भुवनेश्वर तथा मुंबई" जैसे शहरों में होती है।

Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /   

IMPORTANT FOR

- All Exam Interview
- All One Day Exam
- CGPSC Mains
 - Paper No. 02 (Essay)
 - Paper No. 07 (Part-1)

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान / योजना

छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 05 वर्ष से कम आयु वर्ग के लगभग 37.7 प्रतिशत बच्चे कुपोषण एवं 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की 47 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। बच्चों एवं महिलाओं के पोषण स्तर में सकारात्मक सुधार हेतु जनजाति बाहुल दंतेवाड़ा जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत “सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान” की शुरुआत 24 जून 2019 को की गई तथा इस अभियान की सफलता को देखते हुए प्रदेश के अन्य जिलों में भी महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर (2 अक्टूबर 2019) पर मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रारंभ किया गया।



नोट:-

- अभियान का मुख्य उद्देश्य 06 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण एवं एनीमिया तथा 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करना है।
- इस अभियान के तहत राज्य के लगभग 1.85 लाख हितग्राहियों को गर्म भोजन एवं 3.53 लाख हितग्राहियों को अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अण्डा, लड्डू, मूँगफली, दलिया इत्यादि दिया जा रहा है।
- इस अभियान का क्रियान्वयन जन सहयोग एवं सहभागिता से किया जा रहा है।
- इस अभियान के क्रियान्वयन में होने वाले व्यय की प्रति पूर्ति जिला स्तर पर उपलब्ध खनिज न्यास निधि एवं सी.एस.आर. मद तथा जन सहयोग से प्राप्त धनराशि से किया जा रहा है। (इसके लिए मुख्यमंत्री सुपोषण निधि का गठन किया गया है।)
- मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के सतत क्रियान्वयन हेतु इसे अब मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के नाम से संचालित किया जाएगा।

Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /   



राजपूती Potali

IMPORTANT FOR

- All Exam Interview
- All One Day Exam
- CGPSC Mains
- Paper No. 02 (Essay)
- Paper No. 07 (Part-1)

नोनी सुरक्षा योजना

जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाल लिंगानुपात 975 प्रति हजार था, जो जनगणना वर्ष 2011 में घटकर 969 प्रति हजार हो गया है। राज्य में घटते बाल लिंगानुपात तथा बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोंच बढ़ाने के उद्देश्य से "नोनी सुरक्षा योजना" दिनांक 01.04.2014 से प्रारंभ की गई है।

उद्देश्य :-

प्रदेश में बालिकाओं के शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना, बालिका भ्रूण हत्या रोकना और बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोंच लाना एवं बाल विवाह की रोकथाम करना है।

नोट :-

- छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 1 अप्रैल 2014 के उपरांत जन्मी अधिकतम दो बालिका योजनांतर्गत लाभ की पात्र हैं।
- योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं कक्षा 12वीं तक शिक्षा पूर्ण होने पर वित्तीय संस्था द्वारा 1 लाख रुपये परिपक्वता राशि दी जाएगी।

Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /



गुरुगीकी Potali

IMPORTANT FOR

- All Exam Interview
- All One Day Exam
- CGPSC Mains
 - Paper No. 02 (Essay)
 - Paper No. 05 (Part-2)
 - Paper No. 07 (Part-1)

शाकम्भरी योजना

शाकम्भरी योजना एक राज्य पोषित योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई के संसाधन का विकास करना है। (यह योजना राज्य के समस्त जिलों के लिए है।)

हितग्राही की पात्रता -

सभी वर्ग के लघु/सीमांत कृषक योजना का लाभ ले सकते हैं। साग-सब्जी का उत्पादन करने वाले कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है।

हितग्राही को मिलने वाला लाभ -

- कूप निर्माण हेतु रु. 25,000/- अथवा वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान देय है।
- 5 हॉर्स पावर तक के आई.एस.आई. मार्क डीजल/विद्युत/ओपनवेल सबमर्सिबल पंप क्रय पर निर्धारित इकाई लागत का 75 प्रतिशत अथवा रु. 16,875/- अर्थात् जो कम हो।

राज्य शासन द्वारा शाकम्भरी योजना वर्ष 2005-2006 से चलाई जा रही है।

Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /

IMPORTANT FOR

- All Exam Interview
- All One Day Exam
- CGPSC Mains
 - Paper No. 02 (Essay)
 - Paper No. 05 (Part-3)

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास :-

भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(ख), 15(4) एवं 15(क) के तहत राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम-2015, दिनांक 22 दिसम्बर 2015 अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास हेतु समस्त 27 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है। यह न्यास एक गैर लाभ अर्जित करने वाली संस्था है।

खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास के लिये छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम-2015 लागू किया गया है, जो दिनांक 12 जनवरी 2015 से प्रभावशील मान्य किया गया है। न्यास के कार्यों के लिए वित्तीय व्यवस्था मुख्य खनिज एवं गौण खनिज के खनिपट्टों, पूर्वेक्षण सह खनिपट्टा से प्राप्त रायल्टी का 10 से 30 प्रतिशत राशि डीएमएफ के रूप में प्राप्त की जा रही है।

स्रोत- आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20

नोट :-

- शासी परिषद के पदेन अध्यक्ष संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री होंगे।
- शासी परिषद के पदेन सदस्य सचिव संबंधित जिले के कलेक्टर होंगे।
- शासी परिषद के पदेन सदस्य संबंधित जिले के समस्त विधानसभा सदस्य होंगे।
- खनन क्षेत्र के ग्रामसभाओं से 10 सदस्यों का शासी परिषद में मनोनयन।
- न्यास निधि में प्राप्त 50 प्रतिशत राशि का उपयोग प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों में किया जाना सुनिश्चित होगा।

Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /   

IMPORTANT FOR

- All Exam Interview
- All One Day Exam
- CGPSC Mains
 - Paper No. 02 (Essay)
 - Paper No. 05 (Part-1)
 - Paper No. 07 (Part-1)

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना:- युवा वर्ग को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी, आत्मनिर्भरता, कार्यक्षमता का पूर्ण उपयोग एवं योग्यता के अनुरूप स्वयं का रोजगार (उद्यम, सेवा, व्यवसाय) प्रारंभ करने हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त होने संबंधी समस्याओं के दीर्घकालीन निराकरण हेतु **मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना** प्रारंभ की गयी है। उनके स्वरोजगार स्थापना में बैंकों की ऋण प्रदायगी में राज्य शासन की गारंटी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा गारंटी शुल्क, सेवा शुल्क का भुगतान किया जाता है तथा मार्जिन मनी अनुदान (अधिकतम 1.50 लाख रु.) व औद्योगिक नीति के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन भी दिये जाते हैं।

ऋण की सीमा :-

विनिर्माण उद्यम	: परियोजना लागत अधिकतम रु. 25.00 लाख
सेवा उद्योग	: परियोजना लागत अधिकतम रु. 10.00 लाख
व्यवसाय	: परियोजना लागत अधिकतम रु. 02.00 लाख

Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /   

दाई-दीदी क्लीनिक

IMPORTANT FOR

- All Exam Interview
- All One Day Exam
- CGPSC Mains
- Paper No. 02 (Essay)
- Paper No. 05 (Part-3)
- Paper No. 07 (Part-1)

19 नवम्बर 2020 को इंदिरा गांधी जी की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा महिलाओं हेतु दाई-दीदी क्लीनिक का शुभारंभ किया गया। "दाई-दीदी क्लीनिक" अपनी तरह की देश की पहली और अकेली योजना है, जिसमें महिला डॉक्टरों की टीम महिलाओं का उपचार करेगी।



दाई-दीदी क्लीनिक योजना का मोबाईल मेडिकल युनिट

दाई-दीदी क्लीनिक में मिलने वाली सुविधा (महिलाओं हेतु) -

- स्तन कैंसर की जांच, स्व स्तन जांच का प्रशिक्षण।
- गर्भवती महिलाओं की नियमित विशेष जांच की अतिरिक्त सुविधा।
- महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से शहरों में स्थित आंगनबाड़ी के निकट पूर्व निर्धारित दिवसों में यह क्लीनिक स्लम क्षेत्र में लगाया जाएगा।

इस योजना की शुरूआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई नगरनिगम क्षेत्र में "3" स्पेशल दाई-दीदी मोबाईल क्लीनिक से की गई है।

Contact Us : 7089040001, 9039361688, 8770718705

Follow Us On :- RAJPUT TUTORIALS /